

आगोचर

लेखावेवजर्ग

पंचदश विधा विद्या-युक्त के ग्राम लक्ष्मी स्वीकृत आनांकित ५२१
वर्ग-१

कुलपत्रों की लेखा - ११

क्रमांक	विभाग का नाम	पत्रों की संख्या	प्रत्येक
१	ग्रह विभाग	०६	
२	अल्पसंख्यक कल्याण	०१	
३	काल	०१	
४	गन्ना उद्योग	०१	
५	उद्योग	०१	
६	निर्वाचन	०१	

कुल = ११

पंचदश विद्या विद्यान के दशम स्तर में लखे ॥ (२५।९) अनादि

पत्र:-

वर्ग - १

क्रमांक	विद्यार्थी	मातृसंस्थान का नाम	छात्र विषय	सामान्य/विशेष	पृष्ठ ६६
---------	------------	--------------------	------------	---------------	----------

गृह विभाग

- 1 ए-१ श्री अरजुनानंद
मातामह चण्डिका
हीरकाना 1304/14/8/2013
- 2 ए-२ श्री रामलखणराम "रमण"
कारिस्तानों की
दोपवेंदी 1305/14/8/2013
- 3 ए-३ सैजमसिंह "रांगे"
राज्य ~~का~~
उपस्थानकाल 1303/14/8/2013
- 4 ए-४ श्री सुबोध प्रकाश सिंह
कारिस्तानों की दोपवेंदी 1306/14/8/2013
- 5 ए-५ श्री अमनीश कुमार सिंह
कारिस्तानों का 1301/14/8/2013
- 6 ए-६ श्री सोम प्रकाश सिंह
उपस्थानक कल्याण
जॉन कल्याण 1303/14/8/2013
- 7 ए-२ श्री अफाक अलम
कारिस्तानों का 1297/14/8/2013
- 8 का-१ श्री पवन कुमार पापलवाल
दोपवेंदी का 1298/14/8/2013

गंगा उद्योग

- 9 ई-१ श्री राज प्रवेश राय
उद्योग विभाग
वकाफ का अनादि 1296/14/8/2013
- 10 ए-१ श्री सुकोष राय
निर्वाचन विभाग
उपस्थानकाल 1300/14/8/2013
- 11 ए-१ श्री मी मागी (ची) देवी
कारिस्तानों का 1299/14/8/2013

यातायात व्यवस्था ठीक करना

①

डॉ० अच्युतानन्द, स०-वि०स० से प्राप्त अतिरिक्त प्रश्न ।
संख्या-ए-1, दैनिक समाचार पत्र के दिनांक 1 मई, 2013 के अंक में छप्पे खबर
"राजधानी में अपराध से नहीं ट्रैफिक जाम से लगता है डर" शीर्षक के आलोक में क्या
मंत्री गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

1। क्या यह बात सही है कि राज्य के व्यवसायी राजधानी पटना में
लग रहे जाम के कारण काफी भ्रभीत हैं और उनका व्यवसाय इसके कारण बन्द होने
की स्थिति में है ;

2। क्या यह बात सही है कि दिनांक-30 अप्रैल, 2013 को चैम्बर
ऑफ कॉमर्स की बैठक में पटना के ट्रैफिक एत.पो. ने यह स्वीकार किया कि पटना में
ट्रैफिक सिस्टम टाउन प्लानिंग का प्रोब्लम है ;

3। यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार नागरिकों
की सुविधा हेतु यातायात व्यवस्था ठीक करने हेतु कबतक ठोस कार्रवाई करने का
विचार रखती है और नहीं तो क्यों ?

कब्रिस्तानों की धेराबन्दी

②

श्री राम लक्ष्मण राम "रमण", स०-वि०स० से प्राप्त अतिरिक्त प्रश्न ।
स०-ए-2, क्या मंत्री, गृह विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि- मुखनी
जिल्लमर्ग राजनगर एवं अंधराठांटी प्रकंड में गत 5 वर्षों में अबतक कितने कब्रिस्तानों की
धेराबन्दीकी गई है, यदि नहीं तो क्या सरकार सभी कब्रिस्तानों की धेराबन्दी कराना
चाहती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

श्री राशि उपलब्ध कराना

श्री सैजय सिंह टाडगर, सं० वि० सं० से प्राप्त अतारसंकित प्रश्न ।

3

सं०-ए-3, क्या मंत्री गृह & आरक्षी विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

1. क्या यह बात सही है कि राज्य के नक्सल प्रभावित 23 जिलों में से

अरवल, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, रोहतास, नवादा, कैमूर और मुंगेर को ही ग्रामीण विकास विभाग की ओर से मिलने वाली विशेष विकास राशि दी जा रही है, जबकि गृह मंत्रालय के अनुसार राज्य के पटना, नालन्दा, भोजपुर, परिकर्मा वम्पारण, सीतामढ़ी, बाँका, लखीसराय, बेगूसराय और कर्नाटिया जिले भी नक्सल प्रभावित जिले हैं,

2. क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला नक्सलवादी आन्दोलन का केन्द्र रहा है और पूर्णतः नक्सल प्रभावित है,

3. यदि उपर्युक्त बँडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार भोजपुर जिले को भी नक्सल प्रभावित जिला घोषित कर उसे उसके अनुरूप सहाय्य राशि उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

कश्मिस्तान की घेराबन्दी

4

श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिन्हा, सं० वि० सं० से प्राप्त अतारसंकित प्रश्न ।

सं०-ए-4, क्या मंत्री गृह & विशेष विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि- क्या यह

बात सही है कि गया जिला अन्तर्गत प्रखंड गुरारु में कोरियोना की काश्मिस्तान की घेराबन्दी नहीं की गई है, यदि हाँ तो क्या सरकार उक्त कश्मिस्तान कोरियोना की घेराबन्दी कार्य कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

कार्रवाई करना

5

श्री अनीश कुमार सिंह, सी0वि0सो से प्राप्त अतारहित प्रश्न-1

सी0-स-5, प्रभात खबर, दिनांक-9.7.13 में प्रकाशित समाचार शीर्षक "नजरअंदाज किये गये गृह मंत्रालय के टिप्स" के आलोक में क्या मंत्री, गृह आरक्षी विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

1. क्या यह बात सही है कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व के महाबोधि मंदिर पर आतंकी हमले की आशंका के मद्दे नजर गृह मंत्रालय ने वर्ष-2012 में ही आतंकी हमलों से बचने और बाद की परिस्थिति में निपटने हेतु गृह विभाग और गया पुलिस को 64 पेज का एक हैंडबुक उपलब्ध कराया था,

2. क्या यह बात सही है कि उपरोक्त हैंडबुक पर कोई वर्क-आउट नहीं किये जाने के कारण महाबोधि मंदिर, बोध गया पर दिनांक-7.7.2013 की आतंकी घटना घटी,

3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो इस तरह की शिथिलता के लिये सरकार कौन सी कार्रवाई करने का विचार रखती है?

पॉंच करना

श्री सोम प्रकाश सिंह, सी0वि0सो से प्राप्त अतारहित प्रश्न-1

सी0-स-6, क्या मंत्री, गृह आरक्षी विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

6

1. क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिले अंतर्गत देवेन्द्र कुमार उर्फ छोटे मुखिया हत्या से संबंधित हसपुरा कांड संख्या क्रमशः 91/12 दिनांक-10.12.2012, 11/13, 52/13 एवं कांड संख्या-61/13 बूटा मुकदमा दर्ज किया गया है?

2. क्या यह बात सही है कि पुलिस प्रशासन के द्वारा सही ढंग से जांच नहीं किया गया है, जिसके चलते वहां के स्थानीय निवासी को परेशानी हो रही है,

3. क्या यह बात सही है कि छोटे मुखिया के हत्या के बाद फर्जि मुकदमा के द्वारा स्व0 छोटे मुखिया की पत्नी एवं स्थानीय निवासी की छवि धूमिल किया जा रहा है,

4. यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर सही है, तो क्या सरकार इस कांड की सी0बी0आई0 या उच्च स्तरीय कमिटी से जांच कराने की विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

भवन का निर्माण

7

श्री गो० आषाक आलम, स०वि०स० से प्राप्त अंतरांकित प्रश्न ।

संख्या-स-2, क्या मंत्री, पर्यटन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

1। क्या यह बात सही है कि पूर्णिया जिला-तर्गत फकरतकिया मजार का चाहरदीवारी नहीं है एवं मजार का कार्यालय नहीं है ;

2। क्या यह बात सही है कि चाहरदीवारी एवं मजार का कार्यालय नहीं होने से जमीन का अतिक्रमण हो रहा है ;

3। यदि उपर्युक्त संधों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त मजार का चाहरदीवारी एवं मजार का कार्यालय हेतु भवन का निर्माण करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

दोषीय कैदियों

8

श्री पवन कुमार जायसवाल, स०वि०स० से प्राप्त अंतरांकित प्रश्न ।

सं-कारा-1, क्या मंत्री, गृह कारा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

1. क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य के सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, बेतीया, मोतिहारी सहित अन्य कारा में कैदियों का भोजन इत्यादि बनाने में धरेलू गैस सिलेन्डर का प्रयोग किया जा रहा है,

2. क्या यह बात सही है कि कारा नियमन के अनुसार कैदियों को खाना बनाने हेतु चयवसाईक गैस सिलेन्डर का प्रयोग करना है,

3. यदि उपर्युक्त संधों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार कारा में धरेलू गैस सिलेन्डर का उपयोग करने के सम्बंध में जांच कराकर दोषी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

प्रकारों का प्रश्न 1

9

श्री राम प्रवेश राय, स० वि० सं० से प्राप्त अंतरांकित प्रश्न ।

संख्या-ई-1, (क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने को कृपा करेंगे कि :-

1। क्या यह बात सही है कि राज्य के गोपालगंज एवं तातागुहा घाटी तमलों में गन्ना किसानों का पैदाई सत्र-2012-13 का करोड़ों रुपये गन्ना मूल्य अभी तक बकाया है ;

2। क्या यह बात सही है कि गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं होने के कारण किसानों को खेती और अन्य कार्य करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है

3। यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार गन्ना किसानों के बकाये मूल्य का भुगतान ब्याज के साथ शीघ्र कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

आमिर्ता संख्या 34224/12

10

श्री सुबोध राय, स० वि० सं० से प्राप्त अंतरांकित प्रश्न ।

संख्या-ए-1, (क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने को कृपा करेंगे कि :-

1। क्या यह बात सही है कि भागलपुर के रेशमी, तुती और सिल्क वस्त्रों की एक देश दुनिया में खूब रही ;

2। क्या यह बात सही है कि हर समुदाय के परिवार इस उद्योग से अपना जो विकासार्जन किया करते रहे हैं ;

3। क्या यह बात सही है कि विगत कई वर्षों से सरकारी आह्वोग, आर्थिक अभाव एवं सरकारी प्रोत्साहन की कमी से इसके उत्पादन में काफी कमी आई है ;

4। यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकारी सहयोग, आर्थिक सहायता एवं सामग्री उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

करवाई करना

(11)

श्रीमती भागोरथी देवी, स० वि० ०२० से प्राप्त अक्षरानुसृत प्रश्न-।

ग्रंथ-नि-1, दिनांक-07.06.13 को स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित "फंस सकते हैं नरकाव्यागंज व गौनाहा के वा.डा.ओ." शीर्षक को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, निर्वाचन विभाग, यह बतलाने का कृपा करेंगे कि :- क्या यह बात सही है कि बैतिया जिला के नरकाव्यागंज एवं गौनाहा प्रखण्डान्तर्गत मतदाता सूची में फर्जी रूप से 190 आवेदकों द्वारा मग्न बढ़ाकर पेंशन लाभ लेने संबंधी फर्जीवाड़ा एस.डी.एम. द्वारा मंडाफोड किये जाने संबंधी प्रात्येदन जिलाधिकारी को भेजे जाने के बावजूद अबतक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, यदि हाँ तो क्या सरकार फर्जी रूप से पेंशन लाभ लेने वाले आवेदकों एवं संबंधित कार्यो के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?
